रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 2001/आषाढ़ 14, 1923
No. 175] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 2001/ASADHA 14, 1923

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2001

मि. स. एन-10/4/2000-पीबी सैल.— प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) महानिदेशक (आकाशवाणी) और महानिदेशक (दूरदर्शन) भर्ती विनियम 2001 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 (1990 का 25) अभिप्रेत ;

(ख) "अनुसूची" से इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ; और

(ग) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जो क्रमश· अधिनियम में हैं।

3. **पद संख्या और वेतनमान**: उक्त पदों की संख्या और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 3 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **चयन की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं आदि**: चयन की पद्धति, अल्पकालिक संविदा के लिए आयुसीमा, अल्पकालिक संविदा पर सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, परीवीक्षा की अवधि, भर्ती की पद्धति और अल्पकालिक संविदा/स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति की दशा में अपेक्षित अनुभव पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 4 से 10 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **नियुक्ति प्राधिकारी**:- अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति, अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भर्ती बोर्ड के साथ परामर्श करके निगम द्वारा की जाएगी।

6. **सेवा की शर्तें**: उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त अधिकारियों की सेवा की शर्तें उन मामलों के संबंध में जिनका इन विनियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, वहीं होंगी जो प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (सेवा की शर्तें) विनियम 2001 में उपबंधित हैं।

निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. **निर्वचन**- यदि इन विनियमों के निर्वचन से संबधित कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय निगम, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से करेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन या अचयन पद	अल्पकालिक संविदा/प्रतिनियुक्ति के लिए आयु-सीमा	अल्पकालिक संविदा पर सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या अल्पकालिक संविदा के विहित शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होगी
1	2	3	4	5	6	7
महानिदेशक [आकाशवाणी]	1	24050-650-26000/- रु0	लागू नहीं होता	55 वर्ष से अधिक नहीं [सुपात्र अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से 2 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है] टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए सुसंगत तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।	अनिवार्य: ऐसे अधिकारी जो:- [क] केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों या लोक क्षेत्रों के उपक्रमों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंने 18400-22400/- रु0 के या समतुल्य वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास मीडिया प्रबंध या मीडिया विकास या नीति नियोजन में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव है, या [ख] [i] किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। [ii] न्यूनतम 25 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम पंद्रह वर्ष किसी ऐसे संगठन में ज्येष्ठ कार्यपालक की हैसियत में कार्य किया हो जो मीडिया या जनसंचार या लोक प्रशासन से संबंधित हो तथा जिसका उच्च प्रबंधकीय स्थिति में प्रमाणित और विशिष्ट रिकार्ड हो। वांछनीय: इस पद से संबंधित क्षेत्र जैसे कि प्रसारण, वित्त, कार्मिक प्रबंध समसामयिक विषय, प्रसारण इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संचार कला और संस्कृति, शिक्षा आदि का व्यापक ज्ञान।	नहीं

परिवीक्षा अवधि यदि कोइ हो तो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा स्थानातंरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	यदि भर्ती प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है, वह श्रेणी जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जानी है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
8	9	10	11
लागू नहीं होता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति:-अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सेवा समूह "क" के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं या जिन्होंने 18400-22400/- रू0 के या समतुल्य वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जो तीन वर्ष की नियर्मित सेवा सहित भारत सरकार के संयुक्त सचिव रूप में पैनल पर है और जिनके पास मीडिया या जन संचार अथवा लोक प्रशासन में अनुभव है। टिप्पण:- (1) प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा के ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी पर भी, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है, प्रतिनियुक्ति की अवधि पर नियुक्ति के लिए अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और उनमें से किसी के चयन हो जाने की दशा में पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (2) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रसारण [कार्यक्रम] सेवा के आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रबंध काडर आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण काडर दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रबंध काडर और दूरदर्शन के प्रस्तुतीकरण काडर के ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारियों की पात्रता सूची इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि उनके संबंधित काडर में उनकी पारस्परिक परस्पर ज्येष्ठता बनाए रखी जाएगी, उनकी	नियुक्ति भर्ती बोर्ड के परामर्श से की जाएगी।

			नियमित नियुक्ति की तारीख के आधार पर बनाई जाएगी। एक ही तारीख को एक से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति की दशा में, पात्रता सूची में उनके स्थान की उनकी जन्म की तारीख कें अनुसार , जो 'बड़ा' है वह ज्येष्ठ है' के सिद्धांत पर अवधारित किया जाएगा। [3] प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता के अवधारण के लिए नियत तारीख रिक्ति होने के पूर्ववर्ती वर्ष की 1 जनवरी होगी। [4] जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। [5] विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। [6] प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन या अचयन पद	अल्पकालिक संविदा/प्रतिनियुक्ति के लिए आयु-सीमा	अल्पकालिक संविदा पर सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या अल्पकालिक संविदा के विहित शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होगी
1	2	3	4	5	6	7
महानिदेशक [दूरदर्शन]	1	24050-650-26000/- रु0	लागू नहीं होता	55 वर्ष से अधिक नहीं [सुपात्र अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से 2 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए सुसंगत तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।	अनिवार्य: ऐसे अधिकारी जो:- [क] केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों या लोक क्षेत्रों के उपक्रमों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंने 18400-22400/- रु0 के या समतुल्य वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास मीडिया प्रबंध या मीडिया विकास या नीति नियोजन में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव है, या [ख] [i] किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। [ii] न्यूनत्तम 25 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम पंद्रह वर्ष किसी ऐसे संगठन में ज्येष्ठ कार्यपालक की हैसियत में कार्य किया हो जो मीडिया या जनसंचार या लोक प्रशासन से संबंधित हो तथा जिसका उच्च प्रबंधकीय स्थिति में प्रमाणित और विशिष्ट रिकार्ड हो। वांछनीय: इस पद से संबंधित क्षेत्र जैसे कि प्रसारण, वित्त, कार्मिक प्रबंध समसामयिक विषय, प्रसारण इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संचार कला और संस्कृति, शिक्षा आदि का व्यापक ज्ञान।	नहीं

परिवीक्षा अवधि यदि कोइ हो तो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा स्थानातंरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	यदि भर्ती प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है, वह श्रेणी जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जानी है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
8	9	10	11
लागू नहीं होता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्तिः-अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सेवा समूह "क" के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं या जिन्होंने 18400-22400/- रू0 के या समतुल्य वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जो तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित भारत सरकार के संयुक्त सचिव रूप में पैनल पर है और जिनके पास मीडिया या जन संचार अथवा लोक प्रशासन में अनुभव है। टिप्पणः- (1) प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा के ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी पर भी, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है, प्रतिनियुक्ति की अवधि पर नियुक्ति के लिए अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और उनमें से किसी के चयन हो जाने की दशा में पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (2) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रसारण [कार्यक्रम] सेवा के आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रबंध काडर आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण काडर दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रबंध काडर और दूरदर्शन के प्रस्तुतीकरण काडर के ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारियों की पात्रता सूची इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि उनके संबंधित काडर में उनकी पारस्परिक परस्पर ज्येष्ठता बनाए रखी जाएगी, उनकी	नियुक्ति भर्ती बोर्ड के परामर्श से की जाएगी।

		नियमित नियुक्ति की तारीख के आधार पर बनाई जाएगी । एक ही तारीख को एक से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति की दशा में, पात्रता सूची में उनके स्थान की उनकी जन्म की तारीख कें अनुसार , जो 'बड़ा' है वह ज्येष्ठ है' के सिद्धांत पर अवधारित किया जाएगा । [3] प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता के अवधारण के लिए नियत तारीख रिक्ति होने के पूर्ववर्ती वर्ष की 1 जनवरी होगी । [4] जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । [5] विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें । [6] प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	

अनिल बैजल, कार्यकारी सदस्य

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/163/2001]

PRASAR BHARATI

(Broadcasting Corporation of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2001

F. No. N-10/4/2000-PB Cell.— In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub-section (2) of section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations namely :-

1. **Short title and commencement :**

(1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Director General (Akashvani) and Director General (Doordarshan) (Recruitment) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :** In these regulations, unless the context otherwise requires ;

(a) "Act" means the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990);

(b) "Schedule" means the Schedule to these regulations; and

(c) words and expressions used herein and not defined in these regulations, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Number of posts and scale of pay :** The number of posts and their scales of pay shall be as specified in columns 2 and 3 of the Schedule annexed to these regulations.

4. **Method of Selection, age limit, qualifications etc.** : Method of selection, age limit for short term contract, educational and other qualifications required for direct recruitment on short term contract appointment, period of probation, method of recruitment and experience required in case of short term contract/transfer on deputation shall be as specified in columns 4 to 10 of the Schedule aforesaid.

5. **Appointing Authority** : The appointment to the posts specified in column 1 of the Schedule shall be made by the Corporation, after consultation with the Recruitment Board established under sub-section (1) of section 10 of the Act.

6. **Conditions of Service** : The conditions of service of the officers appointed to the posts specified in column 1 of the Schedule aforesaid, in respect of matters for which no provision is made in these regulations, shall be the same as provided in the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Conditions of Service) Regulations 2001.

7. **Disqualification** : No person ;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt with prior approval of the Central Government any person from the operation of these regulations.

8. **Power to relax** : Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations for any person or category of persons with the prior approval of the Central Government.

9. **Interpretation** : If any question relating to interpretation of these regulations arises, it shall be decided by the Corporation in consultation with the Central Government.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of posts	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for short term contract/ deputation	Educational and other qualifications for direct recruitment on short term contract	Whether educational qualifications prescribed for short term contract will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Director General (Akashvani)	1	Rs. 24050-650-26000	Not applicable	Not exceeding 55 years (relaxable upto 2 years in deserving cases with approval of the Central Government) *Note* : The relevant date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application.	**Essential:** (a) Officers of the Central/State Government/ autonomous bodies or Public Sector Undertakings holding analogous post on regular basis or with three years regular service in the pay scale of Rs. 18,400-22,400 or equivalent and having experience of atleast five years in Media Management or Media	No	Not applicable	By Promotion/ deputation failing which by direct recruitment on short term contract basis	**Promotion/Deputation.** Officers of All India Services or Central Services Group "A" holding analogous posts on regular basis or with three years regular service in the pay scale of Rs 18400-22400 or equivalent and empanelled as Joint Secretary to the Government of India with three years regular service and having experience in Media or Mass Communication or Public Administration. *Note:* (1) Officers of the Senior Administrative Grade of Broadcasting (Programme) service with three years regular service in the grade shall also be considered alongwith	The appointment shall be made in consultation with the Recruitment Board.

					Development or Policy Planning; or (b)(i) Degree from a recognized University or equivalent. (ii)Work experience of minimum twenty five years of which at least fifteen years should have been in senior executive position in an Organisation dealing in Media or Mass Communication or Public Administration with proven and outstanding track record in top managerial position. **Desirable:** Broad knowledge of areas like broadcasting, finance, personnel management, current affairs, broadcasting engineering and technology, communications, arts and culture, education			–	applicants for appointment on deputation terms and in case any of them is selected, the post shall be deemed to have been filled in by promotion. (2) For the purpose of promotion, eligibility list of Senior Administrative Grade Officers belonging to programme Management cadre of Akashvani, Programme Production cadre of Akashvani, Programme Management cadre of Doordarshan and Programme Production cadre of Doordarshan of Broadcasting (Programme) Service shall be prepared on the basis of their date of appointment on regular basis subject to the condition that the inter-se-seniority in their respective cadres shall be maintained In case there are more than one officer appointed on the same date, their placement in the eligibility lists will be determined according to their date of birth, on the principle of "Older the Senior" (3) The crucial date for determining the eligibility of officers for promotion shall be 1st January of the preceding year of vacancy(ies) (4) Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their	

					etc. relevant to the post.				seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service (5) Departmental officers shall not be eligible for appointment on deputation basis (6) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed 3 years.	

Name of the Post	No. of posts	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for short term contract/ deputation	Educational and other qualifications for direct recruitment on short term contract	Whether educational qualifications prescribed for short term contract will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Director General (Doordarshan)	1	Rs. 24050 -650- 26000	Not applicable	Not exceeding 55 years. (relaxable upto 2 years in deserving cases with approval of the Central Government) *Note* : The relevant date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application.	**Essential:** (a) Officers of the Central/State Government/ autonomous bodies or Public Sector Undertakings holding analogous post on regular basis or with three years regular service in the pay scale of Rs. 18,400-22,400 or equivalent and having experience of atleast five years in Media Management or Media Development or Policy Planning; or	No	Not applicable	By Promotion/ deputation failing which by direct recruitment on short term contract basis	**Promotion/Deputation:** Officers of All India Services or Central Services Group "A" holding analogous posts on regular basis or with three years regular service in the pay scale of Rs. 18400-22400 or equivalent and empanelled as Joint Secretary to the Government of India with three years regular service and having experience in Media or Mass Communication or Public Administration. *Note:* (1) Officers of the Senior Administrative Grade of Broadcasting (Programme) service with three years regular service in the grade shall also be considered alongwith applicants for	The appointment shall be made in consultation with the Recruitment Board.

					(b)(i) Degree from a recognized University or equivalent. (ii)Work experience of minimum twenty five years of which at least fifteen years should have been in senior executive position in an organisation dealing in Media or Mass Communication or Public Administration with proven and outstanding track record in top managerial position. **Desirable:** Broad knowledge of areas like broadcasting, finance, personnel management, current affairs, broadcasting engineering and technology, communications, arts and culture, education etc relevant to the post.				appointment on deputation terms and in case any of them is selected, the post shall be deemed to have been filled in by promotion. (2) For the purpose of promotion, eligibility list of Senior Administrative Grade Officers belonging to programme Management cadre of Akashvani, Programme Production cadre of Akashvani, Programme Management cadre of Doordarshan and Programme Production cadre of Doordarshan of Broadcasting (Programme) Service shall be prepared on the basis of their date of appointment on regular basis subject to the condition that the inter-se-seniority in their respective cadres shall be maintained. In case there are more than one officer appointed on the same date, their placement in the eligibility lists will be determined according to their date of birth, on the principle of "Older the Senior". (3) The crucial date for determining the eligibility of officers for promotion shall be 1st January of the preceding year of vacancy(ies) (4) Where juniors who have	

									completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service (5) Departmental officers shall not be eligible for appointment on deputation basis (6) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed 3 years	

ANIL BAIJAL, Executive Member

[No. ADVT-3/4/EXTY/163/2001]

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054